

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरिसा कालोनी,इबीबगंज पुलिस थाना के पारा,भोपाल-462016

E-Mail : [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in)

क्रमांक / 2919 / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020

भोपाल, दिनांक 04/08/2020

## अशोकनगर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अशोकनगर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला अशोकनगर
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अशोकनगर

### अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अशोकनगर विकास योजना, 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-15	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
		कृषि	6	6-सा-15	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या-

- \*सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
- \*\* गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. \*\*\* कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंधुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)  
आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
म.प्र. भोपाल